आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा.यो./2020–21/2420 दिनांक :– 24/03/2021

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 के आवेदन बावत्।

संदर्भ – आयुक्तालय का पत्रांक–एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा.यो./2020–21/2174 दिनांक :–12.01.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को संदर्भित पत्र से कोविड–19 के कारण शैक्षणिक सत्र 2019–20 में बिना प्राप्तांक प्रतिशत उत्तीर्ण से शैक्षणिक सत्र 2020–21 में आगामी कक्षा में अध्ययनरत (Promote) विद्यार्थियों के प्राप्त छात्रवृति आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101078 दिनांक–18.03.2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2019–20 में बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध से उत्तराद्ध में प्रमोट किया गया है को नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु एकमुश्त छात्रवृति राशि रूपये 2500/– (दो हजार पांच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाने हेतु निम्न शर्तो के साथ सहमति प्रदान की गई है–

1. नवीनीकरण हेतु आवेदन करने वाले समस्त छात्र/छात्राये मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना की अन्य समस्त शर्ते पूर्ण करते हो।
2. इन छात्र/छात्राओं के प्राप्तांक का आधार निम्नानुसार होगा–

क्र. सं.	विवरण	प्राप्तांक का आधार
1	शैक्षणिक सत्र 2019–20 स्नातक प्रथम वर्ष से बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रमोट किये गये विद्यार्थी	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा प्राप्तांक
2	शैक्षणिक सत्र 2019–20 स्नातक द्वितीय वर्ष से बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्नातक तृतीय वर्ष में प्रमोट किये गये विद्यार्थी	स्नातक प्रथम वर्ष के प्राप्तांक
3	शैक्षणिक सत्र 2019–20 स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध से बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्नातकोत्तर उत्तराद्ध में प्रमोट किये गये विद्यार्थी	स्नातक अंतिम वर्ष के प्राप्तांक

उपरोक्तानुसार प्रमोटी विद्यार्थियों को एकमुश्त छात्रवृति राशि रूपये 2500/– (दो हजार पांच सौ रूपये) स्वीकृत किये जावे।

24/03.
(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा.यो./2020–21/2421 दिनांक :– 24/03/2021

प्रतिलिपि–प्रभारी, वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(एच.आर.पवार)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर